# कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

**क्रमांक:** शिविरा/माध्य/म.गाँ.प्रकोष्ठ/66174/वॉक इन इन्टरव्यू/2023–24/ **दिनांक:**

## विज्ञप्ति

राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 के प्रावधानानुसार राज्य में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों **{महात्मा गाँधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय, स्वामी विवेकानन्द राजकीय आदर्श विद्यालय (एसवीजीएमएस) और समस्त अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय}** के रिक्त निम्नांकित पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग के पदधारी शिक्षकों/कार्मिकों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :–

| क्र.सं. | पदनाम व विषय | क्र.सं. | पदनाम व विषय |
|---|---|---|---|
| 1 | प्राचार्य | 9 | अध्यापक, लेवल–1 |
| 2 | उप–प्राचार्य | 10 | शारीरिक शिक्षा अध्यापक |
| 3 | प्राध्यापक (विभिन्न विषय) | 11 | कम्प्यूटर शिक्षक/वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक/बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक* |
| 4 | वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) | 12 | पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–III |
| 5 | वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक | 13 | प्रयोगशाला सहायक |
| 6 | पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–II | 14 | वरिष्ठ सहायक |
| 7 | वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक | 15 | कनिष्ठ सहायक |
| 8 | अध्यापक, लेवल–2 (विभिन्न विषय) | 16 | सहायक कर्मचारी |

*** जिन विद्यालयों में वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक/कनिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत हैं, उन विद्यालयों में साक्षात्कार प्रक्रिया से वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक/कनिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक को लगाया जायेगा। अन्य विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षक के पद पर अध्यापक, लेवल–प्रथम/अध्यापक, लेवल–द्वितीय के शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से लगाया जायेगा।**

**आवेदन की शर्तें व दिशा–निर्देश :–**

1. आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2023 से 22.06.2023 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाईन भरे जाऐंगे।
2. आवेदन करने हेतु विभाग के पदधारी शिक्षक/कार्मिक ही पात्र होंगे।
3. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नियुक्ति हेतु चयन, साक्षात्कार समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश पृथक से जारी किए जाऐंगे।
4. आवेदक को विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करने पर ही चयन किया जाएगा।
5. **चयनित कार्मिकों का पदस्थापन काउंसलिंग प्रक्रिया से किया जाएगा।**
6. **रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित की जाएगी।**
7. साक्षात्कार के समय आवेदित पदों में क्र.सं. 01 से 13 के पदों के लिए आवेदकों, जो अंग्रेजी भाषा सम्प्रेषण कौशल में प्रवीण तथा अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन में दक्ष हैं, को चयन में अधिमानता दी जाएगी। जबकि क्रम संख्या– 14 से 16 तक के गैर अध्यापन पदों के लिए आवेदकों के चयन के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान वांछनीय होगा।
8. साक्षात्कार में चयन हेतु आवेदक द्वारा मानक अंक या अधिक अंक प्राप्त करने पर चयन हो जाने मात्र से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन का अधिकारी नहीं होगा।
9. चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद व विषय के अनुसार अंग्रेजी माध्यम के उसी रिक्त पद पर किया जाएगा। किसी भी स्थिति में पद विरूद्ध पदस्थापन नहीं किया जाएगा।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.06.17 16:53:06 IST
Reason: Approved

**<u>सेवा की अन्य शर्तें</u> :—**

1. सामान्यतः आवेदित पदों पर चयन के पश्चात् कार्मिक को एक वर्ष की किसी कालावधि के लिए पदस्थापित किया जा सकेगा, जो प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन के पुनर्विलोकन (Review) पश्चात् निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट (Specified) प्रक्रिया द्वारा बढ़ायी जाने योग्य होगी। नियुक्ति प्राधिकारी का किसी कार्मिक को, पूर्वतर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसी सेवावधि के पूर्ण होने से पूर्व, बिना कोई कारण दिये, निर्मुक्त (Relieve) करने का अधिकार होगा।
2. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् पदस्थापित किये गये समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनर्विलोकन, निदेशक द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
3. जैसे ही, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् पदस्थापित कार्मिक को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है, उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्तित समझा जायेगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन के लिए वांछनीय अर्हताएं रखने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नत कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्तियों और अत्यावश्यकता के अनुसार पदस्थापन पर प्रतिधारण (Retention) का विनिश्चय कर सकेगा।
4. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित कार्मिक को उसके पद/विषय के अनुसार सम्पूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित/स्थानान्तरित किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता, पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी।
5. ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामले में जिसकी वरिष्ठता वहां अन्य रेंज/जिले के अधिकार क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् भी रेंज/जिला स्तर पर ही बनी हुई है सम्बन्धित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके मूल रेंज/जिले में संरक्षित की जायेगी और वे अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल रेंज/जिले में धारणधिकार का हकदार होंगे।
6. ऐसे पदों के मामले में जहां वरिष्ठता रेंज/जिला स्तर पर संधारित है और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी/परिवीक्षाधीन व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् अन्य रेंज/जिले में पदस्थापित हैं वहां परिवीक्षाकाल के सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात् स्थायीकरण, उस मूल रेंज/जिले, जहां अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापित होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संधारित है, के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा किया जायेगा। ऐसे कार्मिकों को हिन्दी माध्यम विद्यालय में प्रतिवर्तन के उपरान्त पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा।
7. राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम, 2010 के पदधारी नगरीय/निगम क्षेत्रों में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे।
8. काउंसलिंग के समय आवेदनकर्त्ता कार्मिक को निम्नानुसार लिखित सहमति देनी होगी :—

**<u>सहमति पत्र</u>**

मेरे द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 का अवलोकन कर लिया है, यदि मेरा चयन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्ति हेतु कर लिया जाता है तो मैं **"आवेदन की शर्तें व दिशा—निर्देश"** एवं **"सेवा की अन्य शर्तें"** मानने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

**(काना राम)**
**IAS**
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.06.17 10:53:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4074009

# कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

**क्रमांक:** शिविरा / माध्य / म.गाँ.प्रकोष्ठ / 66174 / वॉक इन इन्टरव्यू / 2023–24 /          **दिनांक:**

1. संयुक्त निदेशक,
   स्कूल शिक्षा (समस्त)।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
   पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
   समग्र शिक्षा (समस्त)।

**जरिये ई–मेल**

**विषय** : अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में स्टाफ चयन के लिए साक्षात्कार के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों {महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम), स्वामी विवेकानन्द राजकीय आदर्श विद्यालय (MVGMS) और समस्त अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय} में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2023 से 22.06.2023 तक आमंत्रित किए गए हैं। इन विद्यालयों में नियुक्ति हेतु कार्मिकों का चयन साक्षात्कार प्रक्रिया से किया जाना है। इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए जाते है :–

**1. <u>चयन के लिए पात्रता</u>** :–

उपर्युक्त उल्लिखित नियम, 2023 के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नियुक्ति हेतु विचार के लिए केवल विभाग (माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग) में कार्यरत कार्मिक ही पात्र होंगे। नियुक्ति के लिए जिन जिलों में रिक्तियाँ भरी जानी है, उसी जिले में कार्यरत कार्मिक को अधिमानता दी जाएगी।

**2.** अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार व चयन समितियाँ निम्नानुसार होंगी **:–**

**(i) <u>मण्डल स्तरीय चयन समिति</u>** :–

| | | |
|---|---|---|
| **1** | संयक्त निदेशक, संबंधित रेंज की स्कूल शिक्षा | चेयरपर्सन |
| **2** | प्रशासनिक विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट, जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से अनिम्न रैंक का एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| **3** | निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा नामनिर्दिष्ट, जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से अनिम्न रैंक का एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| **4** | संयुक्त निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट, रेंज के किसी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का प्रधानाचार्य | सदस्य |
| **5** | निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा नामनिर्दिष्ट, प्रधानाचार्य से अनिम्न रैंक का एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| **6** | संबंधित रेंज की स्कूल शिक्षा का उप निदेशक (एमजीजीएस), संयुक्त निदेशक कार्यालय, | सदस्य–सचिव |

**(ii) <u>जिला स्तरीय चयन समिति</u>** :–

| | | |
|---|---|---|
| **1** | संबंधित जिले का मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी | चेयरपर्सन |
| **2** | प्रशासनिक विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट, जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से अनिम्न रैंक का एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| **3** | निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर का एक प्रतिनिधि जो जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से अनिम्न रैंक का हो | सदस्य |
| **4** | संबंधित जिले के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य, | सदस्य |
| **5** | चेयरपर्सन द्वारा नामनिर्दिष्ट, जिला मुख्यालयों पर स्थित महात्मा गाँधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का प्रधानाचार्य, | सदस्य |
| **6** | संबंधित जिले का जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) | सदस्य–सचिव |

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.06.17 16:53:06 IST
Reason: Approved

3. **<u>रिक्तियों की गणना</u>** :–

**(1) महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) एवं अन्य अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए** शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांकः प.04(15)शिक्षा–1/2019 जयपुर, दिनांकः 14.06.2019 के बिन्दु संख्या–03 में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ के रिक्त पद।

**इन विद्यालयों में पदों का आंकलन निम्नानुसार किया जाना है :–**

1. हिन्दी माध्यम में पुनः प्रतिवर्तन का विकल्प देने वाले उन कार्मिकों के पद जिन्हें हिन्दी माध्यम विद्यालयों में प्रतिवर्तन की सक्षम स्वीकृति दी जाती है, से रिक्त होने वाले पद।
2. वर्तमान में संचालित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय/स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालयों में मानदण्डानुसार पदों में से साक्षात्कार से नहीं भरे गए पद।
3. सत्र 2023–24 से जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का संचालन प्रारम्भ किया जाना है, उनमें शासन के परिपत्र दिनांकः 14.06.2019 के मानदण्डानुसार पद।

नवीन सत्र 2023–24 में कक्षा–5वीं तक संचालित होने वाले विद्यालय व जिन विद्यालयों में कक्षा–6वीं, 9वीं या 11वीं प्रारम्भ होनी है, उनमें पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाना हैः–

**A.** जिन नवीन रूपान्तरित विद्यालयों का संचालन सत्र 2023–24 से कक्षा–5वीं तक के लिए प्रारम्भ किया जाना हैं, में अध्यापक, लेवल–प्रथम के 05 पदों व सहायक कर्मचारियों के 03 पद सम्मिलित किए जाने हैं।

**B.** जिन रूपान्तरित विद्यालयों में नवीन सत्र 2023–24 से कक्षा–6वीं का संचालन किया जाना है उनमें अध्यापक, लेवल–प्रथम के अलावा अध्यापक,लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी/विज्ञान–गणित) के एक–एक पद (कुल 02) सम्मिलित किए जाने हैं।

**C.** जिन विद्यालयों में सत्र 2023–24 से कक्षा–09वीं का संचालन प्रारम्भ किया जाना है, उनमें शासन के परिपत्र दिनांकः 14.06.2019 के अनुसार समस्त 23 पद सम्मिलित किए जाने हैं।

**D.** जिन विद्यालयों में सत्र 2023–24 से कक्षा–11वीं का संचालन प्रारम्भ किया जाना है, उनमें अंग्रेजी माध्यम अध्यापन हेतु जिस संकाय व विषयों की स्वीकृति जारी की गई है, उन विद्य ालयों के प्राध्यापक (व्याख्याता) पदों को सम्मिलित किया जाएगा।

**(2) स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल में रिक्त पद।**

रिक्त पदों का आशय इन विद्यालयों में पदस्थापन के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया से चयन उपरान्त पूर्व में नियुक्त किए गए स्टाफ को छोड़कर मानदण्डानुसार शेष रहे रिक्त पदों से है।

4. **<u>चयन के लिए मानदण्ड</u>** :–

व्यक्तित्व, चरित्र, सेवा का पूर्व अभिलेख और संबंधित सेवाओं में पूर्वानुभव या चयन का अन्य कोई मानदण्ड अर्थात् अंग्रेजी भाषा सम्प्रेषण कौशल और अपने विषय को अंग्रेजी माध्यम में अच्छी तरह से अध्यापन कराने में प्रवीणता या जो भी समिति द्वारा समुचित समझा जाये, को ध्यान में रखते हुए संबंधित चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन किया जायेगा।

5. साक्षात्कार समिति द्वारा आवेदनों की संख्या के आधार पर यथावश्यकता साक्षात्कार से पूर्व लिखित टेस्ट लिया जा सकेगा। लिखित टेस्ट का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा रखा जाएगा।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.06.17 10:53:06 IST
Reason: Approved

6. यदि साक्षात्कार से पूर्व लिखित टेस्ट लिया जाता है तो अधिकतम 30 अंक टेस्ट के लिए और 30 अंक साक्षात्कार के लिए रखे जाऐंगे। टेस्ट व साक्षात्कार दोनों में 30–30 में से प्रत्येक में न्यूनतम 12–12 अंक (कुल 60 अंक में से न्यूनतम 24 अंक) प्राप्त करने वाला ही अंग्रेजी माध्यम में चयन हेतु पात्र माना जाएगा। जहाँ चयन केवल साक्षात्कार प्रक्रिया से होना है वहाँ साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष व प्रत्येक सदस्य को 10 में से अंक देने होंगे। समस्त सदस्यों द्वारा प्रदत्त अंकों के योग के आधार पर अधिकतम 60 में से न्यूनतम कुल 24 अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन हेतु पात्र माना जाएगा।
7. साक्षात्कार व्यक्तिशः या ग्रुप में तथा वर्चुअली या भौतिक किसी भी रूप में लिए जा सकेंगे।
8. लिखित टेस्ट व साक्षात्कार में 2 से 3 टॉपिक जो सामान्य जानकारी अथवा उसके विषय से सम्बन्धित हो या समिति द्वारा जो भी समुचित समझा जावे, को ध्यान में रखते हुए तय कर सकती है।

**परन्तु (1)** समस्त शैक्षणिक पदों के लिए उन आवेदकों, जो अंग्रेजी भाषा सम्प्रेषण कौशल में प्रवीण हैं व अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन में कुशल हैं, चयन के लिए अधिमानता दी जाएगी।

**(2) शैक्षणिक पदों के लिए उन आवेदकों, जिन्होंने अपने मूल पद से सम्बन्धित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अथवा अन्य शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण की है, को चयन में क्रमशः प्राथमिकता दी जाएगी।**

**(3)** गैर शैक्षणिक पदों के लिए आवेदकों के चयन के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान वांछनीय होगा।

9. जिला एवं मण्डल स्तर पर गठित की जाने वाली समितियो का गठन दिनांक 20.06.2023 तक किया जाकर उसी दिन निदेशालय को अवगत करावें।
10. समस्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों (MGGES/English Medium/SVMS) में बिन्दु संख्या 03 के अनुसार चिह्नित किए गए पदों की सूची तैयार कर दिनांक 20.06.2023 तक विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें तथा एक प्रति PDF व Excel फार्मेट में इस कार्यालय को भी प्रेषित करें।
11. साक्षात्कार कार्यक्रम की सूचना पृथक से दी जाएगी।
12. चयनित कार्मिकों का पदस्थापन काउंसलिंग प्रक्रिया से किया जाएगा।

उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार समस्त आवश्यक तैयारियाँ पूर्व से कर ली जावें तथा उपर्युक्त संदर्भित नियम, 2023 तथा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया जावे।

**संलग्नः**–उपर्युक्तानुसार।

**(काना राम)**
**IAS**
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

**प्रतिलिपि** सूचनार्थ :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. उप निदेशक (महात्मा गाँधी प्रकोष्ठ), कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त मण्डल को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने मण्डल से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही की प्रभावी मॉनिटरिंग करें।
6. उप निदेशक (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर को उक्तानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करावें।

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.06.17 10:53:06 IST
Reason: Approved

उप निदेशक (महात्मा गांधी विद्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर।